भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 54
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रम

54. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाशिए पर रहने वाले, अनुसूचित जनजातियों और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में लोगों को दिए गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये स्कीमें मांग आधारित हैं और इनका लाभ देश भर में समाज के सभी वर्गों को मिलता है, जिनमें सीमांत पर पड़े लोग, अनुसूचित जनजातियां और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के युवा भी शामिल हैं। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और प्राथमिक स्तर की शिक्षा रखने वाले तथा 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को "दिव्यांगजन" और अन्य पात्र मामलों में उचित आयु में छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अल्प आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) : यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) : यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल तथा युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

(ग) सिम के अंतर्गत स्कीमों का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करना है ताकि वे स्व-रोजगार के क्षेत्र में लाभप्रद रूप से शामिल हो सकें। रोजगार प्रदान करना इन स्कीमों का अधिदेश नहीं है।

(घ) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम के अंतर्गत शिक्षुओं को नियुक्त करते हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में ऐसे उपक्रमों के साथ सहयोग प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली की व्यवस्था के साथ-साथ व्यक्तिगत कंपनियों के साथ एमओयू के माध्यम से भी स्थापित किया जाता है। इसके अलावा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) में योगदान करते हैं। वर्ष 2014-15 से दिनांक 30.06.2024 तक, विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निजी/पीएसयू दाताओं से 375 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्रमशः 1.93 लाख और 1.44 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है।

अनुबंध -I

'कौशल विकास कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में

पीएमकेवीवाई के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत पिछले तीन वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्ध कराया गया रोजगार:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	7,100	333	423
3	अरुणाचल प्रदेश	5,517	2,328	88
4	असम	11,754	5,127	27
5	बिहार	15,841	2,855	0
6	चंडीगढ़	402	73	0
7	छत्तीसगढ	568	706	593
8	दिल्ली	3,742	212	0
9	गोवा	47	0	0
10	गुजरात	2,073	1,302	13
11	हरियाणा	4,008	160	0
12	हिमाचल प्रदेश	1,580	574	0
13	जम्मू और कश्मीर	2,126	1,680	275
14	झारखंड	2,276	1,047	0
15	कर्नाटक	6,119	134	0
16	केरल	3,094	829	38
17	लद्दाख	0	119	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	12,649	4,217	701
20	महाराष्ट्र	7,089	520	67
21	मणिपुर	3,064	540	0
22	मेघालय	4,871	1,937	0
23	मिजोरम	1,627	116	0
24	नगालैंड	763	376	0
25	ओडिशा	4,211	293	0
26	पुदुचेरी	748	69	0
27	पंजाब	9,537	889	0
28	राजस्थान	14,328	2,754	0
29	सिक्किम	893	165	0
30	तमिलनाडु	3,865	1,311	0
31	तेलंगाना	4,941	408	0
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	32	0	0
33	त्रिपुरा	2,468	1,373	0
34	उत्तर प्रदेश	17,547	4,477	126
35	उत्तराखंड	3,949	364	0
36	पश्चिम बंगाल	5,333	766	0

****